



Neutral Citation No. - 2026:AHC:119277

ए.एफ.आर.

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट सी संख्या- 3630/2026**

सर्वेश कुमार और अन्य

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राज किशोर मिश्रा

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : सीएससी, शिव प्रकाश गुप्ता, यश पडिया

**न्यायालय संख्या - 72**

**माननीय न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी**

**माननीय कुनाल रवी सिंह**

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता; राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री देवेश विक्रम और कानपुर विकास प्राधिकरण (संक्षेप में "प्राधिकरण") के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री यश पाडिया की दलीलें सुनी गईं।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"(1) प्रतिवादी संख्या 2/ जिला मजिस्ट्रेट, जिला कानपुर नगर द्वारा दिनांक 29.12.2025 को पारित किए गए आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण-लेख की प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(2) निर्धारित प्राधिकारी को निर्देश देते हुए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वह कानपुर नगर जिले के अकबरपुर कच्छर जिले के बैरी गांव में स्थित अराज़ी

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 82 (क्षेत्रफल 0.1180 हेक्टेयर) और गाटा संख्या 503 (क्षेत्रफल 0.1540 हेक्टेयर) के याचिकाकर्ताओं को वर्तमान सर्कल दर पर मुआवजा देने के संबंध में नया आदेश पारित करे।

(3) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन पुरस्कार देने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

3. इस रिट याचिका का आधार यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में "अधिनियम, 1894") के तहत धारा 4 के साथ धारा 17 (4) और धारा 6 के साथ धारा 17 (1) के तहत अधिसूचित क्षेत्र के संबंध में कार्यवाही, उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले के 7 राजस्व गांवों के लिए राजपत्रित की गई थी। 9 अगस्त, 1996 को उत्तर प्रदेश राज्य के आधिकारिक राजपत्र में सात राजस्व गांवों की एक विशाल भूमि के संबंध में नए कानपुर शहर के नियोजित विकास के लिए अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी। यह अधिसूचना विभिन्न समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गई थी। अंतिम प्रकाशन 20.12.1996 को किया गया था। अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत घोषणा 17.12.1997 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। अधिनियम की धारा 17 (1) और 17 (4) के प्रावधान लागू होते हैं। 1894 के अधिनियम का सहारा लिया गया और इस प्रकार अधिनियम, 1894 की धारा 5ए के तहत जांच को समाप्त कर दिया गया। पीड़ित व्यक्तियों द्वारा अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाते हुए विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गईं। सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 66471/2005 (महावीर सहकारी आवास समिति लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) अधिग्रहण कार्यवाही की वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसे दिनांक 26.09.2006 के आदेश द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ स्वीकार कर लिया गया था:-

अतः, अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत घोषणा करने की वैधानिक रूप से निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के कारण, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना के बाद की सभी कार्रवाइयां और परिणाम निरर्थक हो जाते हैं। दिनांक 03.10.2005 को अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत जारी की गई आक्षेपित घोषणा, इन याचिकाओं में उल्लिखित भूमि के संबंध में रद्द की जाती है। तदनुसार, रिट याचिकाएं सफल होती हैं और बिना किसी लागत आदेश के स्वीकार की जाती हैं।

#### अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं के पिता, जो पंजीकृत काश्तकार थे, ने अपने जीवनकाल में अधिग्रहण कार्यवाही को कभी चुनौती नहीं दी थी। याचिकाकर्ताओं ने पहली बार रिट याचिका संख्या 37666/2025 (सर्वेश कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) वर्ष 2025 में दायर की थी, जिसका निस्तारण दिनांक 3.11.2025 को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ किया गया था:-

"1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनव कृष्ण श्रीवास्तव और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री उत्तरा बहुगुणा की दलीलें सुनी गईं।"

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता कानपुर नगर जिले के बैरी अकबरपुर कच्छर गांव में स्थित गटा संख्या 82 (क्षेत्रफल 0.1180 हेक्टेयर) और गटा संख्या 503 (क्षेत्रफल 0.1540 हेक्टेयर) के पंजीकृत काश्तकार हैं। हालांकि भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था, लेकिन आज तक वास्तविक मुआवजा वितरित नहीं किया गया है।

5. मौजूदा स्थिति को देखते हुए, हम प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने या उनसे प्रत्युत्तर शपथपत्र आमंत्रित करने के इच्छुक नहीं हैं। पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका का निपटारा इस टिप्पणी के साथ किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता हमारे समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है, तो कानपुर नगर के जिला मजिस्ट्रेट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कानून के अनुसार, आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, इस पर विचार किया जाए और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अगले तीन महीनों में, लेकिन निश्चित रूप से सभी हितधारकों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, इस पर निर्णय लिया जाए।

5. उपरोक्त आदेश के जवाब में, याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार किया गया था और चुनौती दिए गए आदेश द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए उपरोक्त राहतों के साथ यह रिट याचिका दायर की गई है।

6. इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि चुनौती दिया गया आदेश स्वतः ही अस्थिर है क्योंकि याचिकाकर्ता वर्तमान सर्कल दर पर मुआवजे के हकदार हैं। उनका निवेदन है कि प्रतिवादियों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे

#### अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 (संक्षेप में "अधिनियम, 2013") के अनुसार मुआवजा देने का निर्देश जारी किया जाए।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने रिट याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि "कानपुर न्यू सिटी" के नियोजित विकास के लिए शुरू में अधिग्रहण की कार्यवाही की गई थी, जिसे विभिन्न भूमिधारकों ने चुनौती दी थी। अधिग्रहण की कार्यवाही को प्रमुख रिट याचिका संख्या 66471/2005 (महावीर सहकारी आवास समिति लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में भी चुनौती दी गई थी। उक्त रिट याचिका स्वीकार कर ली गई थी और उक्त याचिका में शामिल भूमि के संबंध में अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत जारी की गई घोषणा को रद्द कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह स्वीकार किया जाता है कि अन्य भूमिधारकों, जिन्होंने अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी है, उनकी भूमि के संबंध में वर्ष 2010 में आवंटन किया गया था। यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की जोत के संबंध में भी आवंटन किया गया था, लेकिन आज तक इस आवंटन को कोई चुनौती नहीं दी गई है। रेफरेंस का उपाय उपलब्ध होने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं ने सक्षम न्यायालय से संपर्क नहीं किया। याचिकाकर्ताओं ने पिछली बार, जो 2025 में दायर की गई थी, केवल विलंबित प्रयास किया था, जिसमें मुआवजे के रूप में एक साधारण राहत की मांग की गई थी। खण्ड पीठ ने मामले की खूबियों पर विचार किए बिना, याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देकर मामले का निपटारा कर दिया था। इसके जवाब में, प्रतिवादियों द्वारा विवादित आदेश सही ढंग से पारित किया गया था। उनका कहना है कि यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता के संबंध में वर्ष 2010 में अवार्ड दिया गया था और आज तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा इसे रद्द नहीं किया गया है। इस विलंबित चरण में, मांगी गई राहत पूरी तरह से निराधार है और विवादित आदेश में रिट क्षेत्राधिकार के तहत किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में, इस न्यायालय के याचिका संख्या 32875/2009 (श्रीमती कृष्णा तोमर और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) सहित कई रिट याचिकाओं के एक समूह के दिनांक 16.05.2012 के खण्ड पीठ के फैसले पर भी भरोसा जताया है।

8. प्राधिकरण के विद्वान अधिवक्ता श्री यश पाडिया ने भी विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि अधिग्रहण योजनाबद्ध विकास के लिए किया गया था और यह स्वीकार किया जाता है कि न तो

**अस्वीकरण:**

*अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



याचिकाकर्ताओं के पिता और न ही स्वयं याचिकाकर्ताओं ने कभी अधिग्रहण को चुनौती दी थी। यह भी स्वीकार किया जाता है कि अवार्ड अंतिम हो चुका है और अवार्ड के 16 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद, ऐसी कोई राहत नहीं दी जा सकती है और मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों के तहत चुनौती दिया गया आदेश कानूनी रूप से मान्य है।

9. हमने प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं, रिकॉर्ड का अध्ययन किया है और बार में उद्धृत निर्णयों पर सम्मानपूर्वक विचार किया है।

10. हम पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने निस्संदेह वर्ष 2005 के अधिग्रहण को कभी चुनौती नहीं दी थी। महावीर सहकारी आवास समिति लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में खण्ड पीठ द्वारा दी गई राहत केवल उन्हीं याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध थी जिन्होंने अधिग्रहण को चुनौती दी थी। उक्त कार्यवाही में, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अधिग्रहण को रद्द करना केवल उक्त कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं के संबंध में ही लागू होता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं या उनके पूर्ववर्तियों द्वारा अधिग्रहण को कोई चुनौती न दिए जाने के कारण, ऐसी कोई राहत नहीं दी जा सकती। यह तर्क कि याचिकाकर्ता अधिनियम, 2013 के अनुसार मुआवजे के हकदार हैं, भी निराधार है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने पहली बार वर्ष 2025 में प्रतिवादियों को मुआवजा वितरित करने का निर्देश देने के लिए इस न्यायालय से संपर्क किया था। यह स्वीकार किया जाता है कि यह निर्णय वर्ष 2010 का है। किसी चुनौती या संदर्भ के अभाव में, अधिनियम, 2013 के तहत ऐसी कोई राहत नहीं दी जा सकती, जैसा कि प्रार्थना की गई है। अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत दिनांक 26.09.2006 के आदेश द्वारा घोषणा को रद्द करना केवल याचिकाकर्ताओं के संबंध में था, जिन्होंने उस समय न्यायालय का रुख किया था, और इसे अन्य काशतकारों पर लागू नहीं किया जा सकता, जिन्होंने इसे चुनौती नहीं दी है।

11. हमने श्रीमती कृष्णा तोमर और अन्य (उपरोक्त) के फैसले पर भी विचार किया है। उक्त कार्यवाही में, अधिनियम, 1894 की धारा 4 और 6 के तहत समान अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी। डिवीजन बेंच ने प्रतिवादियों की इस आपत्ति पर विचार किया था कि याचिकाएं घोर विलंब और लापरवाही के कारण वर्जित थीं और महावीर सहकारी आवास समिति लिमिटेड (उपरोक्त) में डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले पर भी विचार किया था। डिवीजन बेंच ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया था कि 111.84 हेक्टेयर के शेष भाग के समान अधिग्रहण के संबंध में बड़ी संख्या

#### **अस्वीकरण:**

*अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



में रिट याचिकाएं दायर की गई थीं और इस न्यायालय द्वारा लापरवाही के आधार पर खारिज कर दी गई थीं। उक्त कार्यवाही में, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका संख्या 10116/2012, नरेंद्र सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के दिनांक 24.2.2012 के आदेश पर भी भरोसा किया है, जिसे त्वरित संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

"याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से उपस्थित श्री रामेंद्र प्रताप सिंह और प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गई।"

इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 और 6 की अधिसूचनाओं को क्रमशः 16.8.1988 और 22.2.1989 को रद्द करने की प्रार्थना की है।

यह रिट याचिका 17.2.2012 को दायर की गई है, यानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत जारी घोषणा के बीस साल से अधिक समय बाद दायर की गई।

सर्वोच्च न्यायालय ने सावरन लता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में, जो 2010(4) एससीसी 532 में प्रकाशित हुआ है, अनुच्छेद 10 में निम्नलिखित बातें कही हैं:-

10. इसी तरह का दृष्टिकोण राजस्थान राज्य बनाम डी.आर. लक्ष्मी के मामले में दोहराया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने यह माना है कि यदि पक्षकार उचित समय के भीतर न्यायालय में नहीं पहुंचा है, तो भी शून्य कार्यवाही को रद्द करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि विलंबित अवस्था में न्यायिक समीक्षा अनुमेय नहीं है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

9. अधिसूचना को चुनौती देने में देरी घातक थी और रिट याचिका विलंब के आधार पर खारिज हो जाती है। इसलिए, यह सुस्थापित कानून है कि जब रिट याचिका दायर करने में अत्यधिक देरी हो और अधिग्रहण कार्यवाही में उठाए गए सभी कदम अंतिम हो चुके हों, तो न्यायालय को अधिसूचनाओं को रद्द करने में संकोच करना चाहिए।

10. यदि आदेश या कार्रवाई शक्ति के विरुद्ध हो, तो वह शून्य हो जाती है और कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि कार्रवाई हर हाल में रद्द हो जाए। भले ही आदेश शून्य हो, यदि पक्षकार उचित समय के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता (जो कि

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हमेशा एक तथ्यात्मक प्रश्न होता है) और आदेश को अमान्य घोषित करने, स्वीकार करने या त्यागने का अनुरोध नहीं करता, तो न्यायालय के निर्देशों का प्रयोग उचित तरीके से किया जाना चाहिए। जब न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान किया गया हो, तो न्यायालय उचित मामलों में राहत देने से इनकार कर सकता है, भले ही वह यह मानता हो कि आदेश अमान्य था। इसका परिणाम यह है कि ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय के असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

इसी तरह का दृष्टिकोण इस न्यायालय द्वारा नॉर्दर्न इंडिया ग्लास इंडस्ट्रीज बनाम जसवंत सिंह और हरियाणा स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम जैन स्कूल सोसाइटी के मामलों में भी दोहराया गया है।

इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने रिट याचिकाओं के एक समूह में, जिनमें प्रमुख याचिका संख्या 37443/2001 (गजराज और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) शामिल थी, 21 अक्टूबर, 2011 को भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए विलंब के मुद्दे पर विचार किया था। अत्यधिक विलंब से दायर की गई इन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

यह एक ऐसा मामला है जहां 10 साल से अधिक समय बाद अधिग्रहण को चुनौती देने की कोशिश की जा रही है और रिट याचिका में ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है जो इतने लंबे समय के बाद रिट याचिका पर विचार करने का कोई आधार प्रदान कर सके।

विलंब के कारण दायर की गई याचिका खारिज की जाती है।

12. श्रीमती कृष्णा तोमर और अन्य (उपरोक्त) मामले में रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, डिवीजन बेंच ने स्वर्ण लता और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2010) 4 एससीसी 532 में दिए गए फैसले पर भी विचार किया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम डी.आर. लक्ष्मी (1996) 6 एससीसी 445 पर भरोसा करते हुए कहा था कि यदि आदेश या कार्रवाई शक्ति के अतिरेक में है, तो वह शून्य हो जाती है और कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। हालांकि, हर हाल में कार्रवाई को रद्द करना आवश्यक नहीं है। भले ही आदेश शून्य हो, यदि पक्षकार उचित समय के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, जो कि हमेशा एक तथ्यात्मक

#### अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रश्न होता है, और आदेश को अमान्य घोषित करने, स्वीकार करने या माफ करने की मांग नहीं करता है, तो न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग उचित तरीके से करना होगा।

13. इस मामले में निर्विवाद रूप से यह बात सामने आती है कि फैसला वर्ष 2010 में सुनाया गया था। कब्जे की तारीख से भी, पिछली रिट याचिका 15 साल से अधिक की अत्यधिक देरी से दायर की गई थी, इसलिए इस मामले में इस विलंबित अवस्था में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **स्वाइका प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2008 AIR SCW 1574** में कब्जा लेने और पंचाट के अंतिम हो जाने के बाद रिट याचिकाएँ दायर करने की प्रथा की निंदा की है और कहा है कि विलंब और लापरवाही के कारण उक्त रिट याचिकाएँ खारिज की जा सकती हैं। इसी तरह का विचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बृहन्मुंबई नगर निगम बनाम औद्योगिक विकास निवेश कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य (1996) 11 SCC 501** में भी व्यक्त किया है, जिसमें कहा गया है:-

“यह सर्वविदित कानून है कि जब रिट याचिका दायर करने में अत्यधिक देरी हो और अधिग्रहण कार्यवाही में उठाए गए सभी कदम अंतिम हो चुके हों, तो न्यायालय को अधिसूचनाओं को रद्द करने से बचना चाहिए। उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचना और धारा 6 के अंतर्गत घोषणा को रद्द करने की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। लेकिन इनका प्रयोग सभी प्रासंगिक कारकों को व्यावहारिक रूप से ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। जब निर्णय पारित हो चुका था और कब्जा ले लिया गया था, तब न्यायालय को निर्णय को रद्द करने की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, जो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने से पहले विचार करने योग्य एक महत्वपूर्ण कारक है। इस मामले में किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन न होना हस्तक्षेप का आधार नहीं है। हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच का, देरी के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने वाले सिंगल जज के विवेकपूर्ण फैसले में दखल देना सही नहीं था।

15. इसी प्रकार का मत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरि सिंह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, एआईआर 1984 एससी 1020** के मामले में भी व्यक्त किया है, जिसमें हस्तक्षेप को केवल विलंब के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि इससे गंभीर जनहित उत्पन्न

**अस्वीकरण:**

*अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



हो सकता है। न्यायालयों ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि यदि भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिका, कब्जा प्राप्त होने के बाद दायर की जाती है, तो वह विचारणीय नहीं है।

16. इस मामले में हमने पाया है कि अधिग्रहण की कार्यवाही वर्ष 1996 में शुरू की गई थी, अधिग्रहण का निर्णय वर्ष 2010 में किया गया था और याचिकाकर्ताओं द्वारा पहली बार रिट याचिका वर्ष 2025 में दायर की गई थी। ऐसे में, इस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हमारे विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम यह भी देखते हैं कि जहां न्यायालय व्यक्तिगत आपत्तिकर्ताओं से संबंधित आधारों पर अधिग्रहण को रद्द करता है—जैसे कि धारा 5ए के तहत उनकी विशिष्ट आपत्तियों पर विचार न किया जाना—वहां राहत "व्यक्तिगत" रूप से लागू होती है और केवल उन्हीं पक्षों को लाभ पहुंचाती है जिन्होंने न्यायिक मंच के समक्ष मामले का विरोध किया था।

17. श्रीमती कृष्णा तोमर और अन्य (उपरोक्त) के मामले में महावीर सहकारी आवास समिति लिमिटेड के तहत इसी तरह के लाभों से वंचित किया गया था और रिट याचिका को वर्ष 2012 में ही खारिज कर दिया गया था, जबकि इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती दिए बिना, वर्ष 2025 में पहली बार इस न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने केवल अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजे की मांग की। इसलिए, इस विलंबित अवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

18. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमें चुनौती दिए गए आदेश में कोई खामी या अवैधता नहीं मिलती, जिसके लिए रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। हालांकि, न्याय के हित में यह प्रावधान किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ताओं ने मुआवजा नहीं लिया है, तो वे वर्ष 2010 में दिए गए पंचाट के मद्देनजर जमा किए गए मुआवजे के वितरण के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) के समक्ष उचित आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

19. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय कुनाल रवी सिंह) (माननीय न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

9 फरवरी 2026

ए.के. श्रीवास्तव

Translated Version. Not for Legal Use

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।